चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : प0नि0/II/1050 दिनांक : 17/11/26

विज्ञप्ति

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना हेतु चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की पंजीकृत छात्रायें जिनका आय प्रमाण पत्र तीन वर्ष से पूर्व की अवधि में निर्गत है, से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने जनपद (जहाँ उनके स्नातक उत्तीर्ण करने वाला महाविद्यालय अवस्थित है) के जिलाधिकारी कार्यालय में अपना अद्यतन आय प्रमाण पत्र (जो तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो) जमा करना सुनिश्चित करें।

वैध आय प्रमाण पत्र न होने की दशा में छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना हेतु अपात्र माना जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्रा की होगी।

17/11/26

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय प्राचार्य/प्राचार्या को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना हेतु पंजीकृत छात्राओं को अपने स्तर से इस विज्ञप्ति से अवगत कराने का कष्ट करें।

उप कुलसचिव